अध्याय–तीन

अध्याय–तीन

3. लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियां

राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा किये गये लेन–देन की नमूना जांच से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है ।

सरकारी कम्पनियां

मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड

3.1 ब्याज का परिहार्य भुगतान

नियत समय पर वार्षिक आयकर विवरणी जमा नहीं करने और अग्रिम कर के प्रेषण में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 26.77 लाख ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक मामले में जहाँ एक वित्तीय वर्ष में किसी करदाता (निर्धारिती) द्वारा देय कर दस हजार रूपये[1] या इससे अधिक है, अग्रिम कर दिया जाना है । अधिनियम की धारा 234 ब के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में, एक निर्धारिती जो धारा 208 के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इस प्रकार के कर का भुगतान करने में असफल रहा है या जहाँ निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर आंकलित कर के 90 प्रतिशत से कम है, वहाँ निर्धारिती उस राशि पर जो आंकलित कर पर देय अग्रिम कर से कम है, पर अप्रैल के प्रथम दिन से प्रत्येक माह के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 234 स के अनुसार, एक निर्धारिती यदि अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहता है या उसके द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 31 मार्च को देय के क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से कम है, तो निर्धारिती कम जमा कि गई राशि पर प्रत्येक माह के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा । अधिनियम की धारा 234 अ के अनुसार, किसी स्थिति में यदि किसी निर्धारण वर्ष का आय का विवरण अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो आंकलित आय पर कर की राशि में से भुगतान किये गये अग्रिम कर व स्त्रोत पर काटे गये कर की राशि को घटाने पर प्राप्त राशि पर प्रत्येक माह या महीने के किसी भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज वसूला जायेगा ।

हमने पाया कि कम्पनी द्वारा निर्धारित समय में अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया गया था और नियत दिनांक तक वार्षिक आयकर विवरण जमा नहीं किया गया था । दस्तावेजों की जांच (जून 2013) में पाया गया कि कम्पनी आयकर विवरण दायर करने में और निर्धारित प्रतिशत पर अग्रिम कर का भुगतान नियम तिथि पर करने में अनियमित थी । वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में हुई देरी की कारण, कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2009–10 का आयकर विवरण 2010–11 में व निर्धारण वर्ष 2010–11 का आयकर विवरण 2011–12 में दायर किया। कम्पनी द्वारा निर्धारण वर्ष 2009–10 से 2012–13 के लिए ब्याज के रूप में ₹ 26.77 लाख का भुगतान किया गया । यदि कम्पनी द्वारा देय अग्रिम कर का सही निर्धारण

---

[1] दिनांक 01.04.2009 से वित्त अधिनियम, 2009 के द्वारा ''पाँच हजार'' से प्रतिस्थापित ।

किया जाता तथा त्रैमासिक किस्तो का नियत समय पर भुगतान किया जाता तो इसे टाला जा सकता था ।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2013) कि लेखाओं को अंतिम रूप देने में हुई देरी तथा अग्रिम कर का सटिक अनुमान न लगा पाना, अग्रिम कर के भुगतान में हुई देरी के मुख्य कारण थे।

कम्पनी अधिनियम, 1956 कि धारा 210 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जिसके अनुसार यह कम्पनी का उत्तरदायित्व है कि वह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर शेयर धारकों की वार्षिक आम बैठक में लेखाओं को प्रस्तुत करें । इसके अतिरिक्त, कम्पनी अपने परिचालन आय पर उपलब्ध मार्जिन के आधार पर संबंधित वर्षो के लिए कर देयता का अनुमान लगा सकती थी ।

प्रकरण जुलाई 2014 में सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (दिसम्बर 2014) ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (इन्दौर)

3.2 सुरक्षा जमा की ब्याज पर दण्ड ब्याज

वैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप दण्डात्मक ब्याज के रूप में ₹ 47.17 लाख का परिहार्य व्यय

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) सुरक्षा जमा (संशोधन–I), नियमन 2009 के अनुसार लाइसेंसधारी मीटर, लाइन व प्लांट तथा बिजली की खपत के संबंध में सभी उपभोक्ताओं से सुरक्षा जमा एकत्र कर सकता है । लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं को सुरक्षा जमा पर ब्याज का भुगतान प्रत्येक माह रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित बैंक दर पर उनके मासिक बिल में जमा के रूप में करेगा । सुरक्षा जमा पर ब्याज के भुगतान में देरी की अवधि के लिए, लाइसेंसधारी (कम्पनी) प्रति माह एक प्रतिशत की दर से उपभोक्ताओं को देय सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज की राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

हमने पाया (अगस्त 2013) कि कम्पनी में उपभोक्ताओं को वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान सुरक्षा जमा कर ब्याज का भुगतान नहीं किया । सुरक्षा जमा पर ब्याज की राशि ₹ 2.33 करोड़ थी और कम्पनी द्वारा बाद में इसे ऊर्जा बिलों में तीन किस्तों (जनवरी, फरवरी और मार्च 2013) में समायोजित किया गया। एम.पी.ई.आर.सी. नियमन के अनुसार मासिक बिलों के माध्यम से सुरक्षा जमा पर ब्याज का नियमित भुगतान न होने के परिणास्वरूप ब्याज पर दण्डात्मक ब्याज के रूप में ₹ 47.17 लाख का भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2014) कि ब्याज पर ब्याज का भुगतान माननीय एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2014 के अनुसार किया गया था ।

परन्तु तथ्य यह है कि माननीय एम.पी.ई.आर.सी. को आदेशों के अनुसार ब्याज पर ब्याज का भुगतान तब किया गया, जब कम्पनी अपने वैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप दण्डात्मक ब्याज के रूप में ₹ 47.17 लाख का परिहार्य व्यय हुआ ।

प्रकरण जुलाई 2014 में सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (दिसम्बर 2014) ।

3.3 निष्फल व्यय

परिधान पार्क की स्थापना पर ₹ 32.48 करोड़ का निष्फल व्यय

एक केन्द्र प्रायोजित योजना ''निर्यात के लिए परिधान पार्क (ए.पी.ई.)'' परिधान क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों को शामिल करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा तैयार की गई थी। योजना का उद्देश्य संभावित वृद्धि केन्द्रों पर अंतराष्ट्रीय स्तर की परिधान विनिर्माण ईकाईयों की स्थापना पर जोर देना था और इस क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन देना था, ताकि राष्ट्रीय टेक्साटाइल नीति 2000 में परिकल्पित 25 अरब अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को 2010 तक प्राप्त किया जा सके ।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार (फरवरी 2004) ने मध्य प्रदेश सरकार के ''निर्यात के लिए परिधान पार्क'' योजना के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (इन्दौर) में ₹ 17.00 करोड़ की लागत से एक परिधान पार्क बनाने के परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी । अनुमोदित योजना के अनुसार, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान बुनियादी ढांचे के विकास की लागत का 75 प्रतिशत (भूमि की लागत को छोड़कर) अधिकतम ₹ 10.00 करोड़ एक प्रवाह उपचार संयंत्र की स्थापना की लागत, शिशुगृह, बहुउद्देशीय केन्द्र/हॉल विपणन/प्रदर्शन के लिए अधिकतम ₹ पाँच करोड़ और पार्क में बनाए गए किसी भी प्रशिक्षण की सुविधा की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ दो करोड़ तक सीमित था । इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता अन्य विषयों के साथ इस शर्त के अधीन थी कि कम से कम 25 प्रतिशत प्लाट अनुमोदन की दिनांक के तीन माह में तथा 50 प्रतिशत प्लॉट अनुमोदन की दिनांक के छः माह में आरक्षित हो जायेंगे ।

परियोजना लागत ₹ 17.00 करोड़ की मान्य सहायता के साथ ₹ 29.07 करोड़ पर भारत सरकार द्वारा संशोधित (जनवरी 2007) की गई और शेष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना था। मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को परिधान पार्क परियोजना जिसमें सड़क, नालियाँ, पुलियों, जल निकासी व्यवस्था, सीवर लाइन, बिजली, प्रवाह उपचार संयंत्र और प्रशिक्षण केन्द्र शामिल है, को लागू करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) के रूप में नियुक्त (अगस्त 2008) किया । औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर द्वारा इस हेतु मध्य प्रदेश सरकार से 133.38 एकड़ (53.98 हेक्टयर) भूमि का अधिग्रहण किया गया । पूरा कार्य नियुक्ति कि तिथि से आठ माह के भीतर पूरा किया जाना था । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के लिए जनवरी 2005 से भुगतान प्रारंभ किया गया और ₹ 5.40 करोड़ भूमि की लागत को छोड़कर, सितम्बर 2011 तक ₹ 6.67 करोड़ का भुगतान किया और भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 8.52 करोड़ का भुगतान औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को किया गया। ए.के.वी.एन. द्वारा ₹ 29.07 करोड़ की अनुमोदित योजना लागत के विरूद्ध ₹ 32.48 करोड़ खर्च किए गए, जिसे एस.ई.जेड़. (इन्दौर) लिमिटेड के लेखाओं में दर्शाया गया है ।

हमने पाया (अगस्त 2013) कि केन्द्रीय सहायता के लिए परियोजना में समय प्रतिबंध घटक के बावजूद, ए.के.वी.एन. द्वारा इसे समय पर पूर्ण करने के कोई प्रभावी प्रयास नहीं किये गये और बुनियादी कार्यों की धीमी प्रगति के कारण, ए.के.वी.एन. द्वारा कार्य पूर्ण करने की तारीख मार्च 2009 से मार्च 2010 तक बढ़ा दी और आगे मार्च 2012 तक बढ़ा दी। कार्य की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने ''निर्यात के लिए परिधान पार्क'' योजना को 30 सितम्बर 2011 से बंद करने का निश्चय (जुलाई 2011) किया। इस प्रकार अत्याधिक देरी और परियोजना को समय पर

[2] भारत सरकार ₹ 8.52 करोड़, मध्य प्रदेश सरकार ₹ 12.07 करोड़ और ₹ 11.89 करोड़ अपने स्त्रोतो से

पूर्ण करने के लिए प्रभावी निगरानी की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 32.48 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ ।

कम्पनी द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि उनके द्वारा सक्रिय रूप से एस.ई.जेड़. में इकाईयों को आकर्षित करने के प्रयास किये जा रहे है परन्तु भारत सरकार की प्रोत्साहन संरचना में अंतर के कारण, इकाईयों को एस.ई.जेड़. में स्थापित करना अब आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य की धीमी प्रगति के कारण पार्क की स्थापना के बाद मात्र एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए (जून 2007) और उसके बाद किसी उद्यमी ने कम्पनी से सम्पर्क नहीं किया। इसके अलावा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने यह कहते हुए परियोजना बंद कर दी कि ए.के.वी.एन. द्वारा ''निर्यात के लिए परिधान पार्क'' योजना को लागू करने में रूचि नहीं दिखाई गई । भारत सरकार की कम्पनी प्रोत्साहन संरचना के विषय में, भारत सरकार की प्रोत्साहन संरचना में बदलाव होने के पूर्व ही कार्य की धीमी प्रगति के कारण योजना को वापस ले लिया था ।

प्रकरण जुलाई 2014 में सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (दिसम्बर 2014) ।

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

3.4 ब्याज की हानि

अधिशेष कोष के पुनर्निवेश में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 35.28 लाख की ब्याज की हानि

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड कार्यो के लिए जमा के रूप में विभिन्न सरकारी विभागों से धन प्राप्त करता है । कम्पनी के रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया (मई 2013) कि कम्पनी द्वारा कोष को निवेश कर उस पर ब्याज कमाने के उद्देश्य से कोई नीति नहीं बनाई गई थी, कम्पनी द्वारा उसे विभिन्न अनुसूचित बैंको में सावधि जमा के रूप में निवेश किया गया । यह पाया गया कि परिपक्वता पर, सावधि जमा में निवेश अधिशेष कोष, आवश्यकता पड़ने पर कम्पनी द्वारा या तो पुनर्निवेश किया था या कम्पनी खर्चो के लिए उपयोग किया गया । आगे यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान परिपक्व सावधि जमा ₹ 52.50 करोड़ का पुनर्निवेश किया गया और वहाँ पुनर्निवेश में 12 से 66 दिन की देरी हुई, जिसके कारण ₹ 35.28 लाख की ब्याज की हानि हुई ।

सरकार ने कहा (अगस्त 2014) कि वर्ष 2012–13 का कम्पनी का निधि प्रवाह विवरण स्पष्ट रूप से कहता है कि माह अगस्त 2012 में ₹ 15.02 करोड़ का नकारात्मक शेष हो गया होता यदि कम्पनी द्वारा राशि को तुरन्त ही पुनर्निवेशित कर दिया जाता है । इसी तरह की स्थिति दिसम्बर 2012 के महीने में एफ.डी.आर. की परिपक्वता पर उत्पन्न हो गयी होती ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी अगस्त व दिसम्बर 2012 में सावधि जमा के परिपक्वता मूल्य को ध्यान में लिए बिना ही नकारात्मक शेष पर पहुँची । इसके अतिरिक्त समस्त भुगतान व सावधि जमा में निवेश को ध्यान में रखते हुए इन महीनों का अंतः शेष सकारात्मक था । लघु अवधि व दीर्घ अवधि हेतु प्राप्त निधियों व अपनी आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए उचित निधि प्रबंधन तंत्र की कमी के परिणामस्वरूप बचत खाता ब्याज को ध्यान में रखते हुए ₹ 35.28 लाख की ब्याज की हानि कम्पनी को हुई ।

क्रिस्टल आई.टी. पार्क लिमिटेड, इन्दौर

3.5 राजस्व की हानि

संचालन एवं संधारण शुल्क को आरोपित न करने के कारण ₹ 2.84 करोड़ राजस्व की हानि

क्रिस्टल आई.टी.पार्क लिमिटेड़ (कम्पनी) को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 16 सितम्बर 2004 को मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, इन्दौर की सहायक कम्पनी के रूप में शामिल किया गया था । कम्पनी का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी, रत्न, आभूषण व अन्य उद्योगो से संबंधित उद्योगों/व्यवसायों के लिए बुनियादी ढाँचे को विकसित करने, बढ़ावा देने वे बनाए रखना है । कम्पनी आई.टी. क्षेत्र के उद्यमियों को कम से कम पाँच साल कि अवधि के लिए विकसित क्षेत्र/भवन भी आंवटित कर रही है। कम्पनी मासिक लाइसेंस शुल्क/किराया व संचालन और संधारण शुल्क संबंधित आंवटियों से वसूल करने की हकदार है ।

आवंटियों के साथ कम्पनी द्वारा किये गये समझौते व आशय पत्र यह दर्शाते है कि कम्पनी द्वारा समय–समय पर जारी दरों पर संचालन और संधारण शुल्क वसूली योग्य थे । फरवरी 2012 में आयोजित बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा क्रिस्टल आई.टी. पार्क में उद्योगो/व्यवसायों को आवंटित क्षेत्र के लिए संचालन एवं संधारण शुल्क की दर ₹ 150/– प्रति वर्ग मीटर मासिक अनुमोदित की गई । कम्पनी ने जून 2012 और मार्च 2013 के मध्य 7235 वर्ग मीटर सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल चार आई. टी. क्षेत्र के उद्यमियों को किराये के आधार पर आई.टी. पार्क, इन्दौर में आंवटित किया ।

यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा संचालन एवं संधारण शुल्क को अभी तक सूचित नहीं किया गया (दिसम्बर 2014) । परिणामस्वरूप कम्पनी ने ₹ 2.84 करोड़ के संचालन एवं संधारण शुल्क को चार आवंटियों पर आरोपित नहीं किया है ।

कम्पनी ने कहा (जुलाई 2014) कि उन्होने संचालन एवं संधारण शुल्क की दर ₹ 150 प्रति वर्ग मीटर मासिक निश्चित की थी जो कि पार्क के पूर्ण पर इकाईयों से वसूली योग्य थी । चूँकि कम्पनी द्वारा पार्क के संचालन एवं संधारण पर कोई खर्च नहीं किया गया है अतः संचालन एवं संधारण शुल्क की वसूली तार्किक नहीं थी ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी द्वारा किये गये पूँजीगत खर्चो को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल ने संचालन एवं संधारण शुल्क तय किये थे और इन्हें उन आवंटियों से वसूला जाना था जिन्हे क्षेत्र आंवटित हुए थे । इस प्रकार संचालन एवं संधारण शुल्क को अधिसूचित करने के निदेशक मण्डल के निर्णय की पालना न करने के परिणामस्वरूप चार आंवटियों से ₹ 150 प्रति वर्ग मीटर मासिक की दर से ₹ 2.84 करोड़ एकत्र करने में कम्पनी विफल रही ।

प्रकरण जून 2014 में सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर अभी तक प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2014)।

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

3.6 सामग्री की खरीद पर निष्फल व्यय

तत्काल प्रभाव से सामग्री की खरीद करने और उसका उपयोग न करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.02 करोड़ का निष्फल व्यय

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना बिजली उत्पादन के उद्देश्य से की गई थी । कम्पनी के एक बिजली उत्पादन, सतपुड़ा थर्मल पॉवर स्टेशन (एस.टी.पी.एस.) सारणी द्वारा अक्टूबर 2007 से अगस्त 2009 के मध्य पॉवर हाउस–I की

ईकाई– I से V की आवश्यकता के लिए टर्बाइन के डायफ्राम और पेकिंग रिंग व डायफ्राम की स्पिल स्ट्रीप्स की खरीद के लिए कुल ₹ 5.21 करोड़ के तीन आदेश दिये गये और पूरी सामग्री जून 2008 से जुलाई 2010 के मध्य प्राप्त हुई ।

लेखापरीक्षा में पाया कि 62.5 मेगावाट इकाई की कैपिटल ओवरहालिंग के लिए प्रतिस्थापन/उपयोग के लिए तत्काल आवश्यकता के कारण उक्त सामग्री की एस.टी.पी.एस. द्वारा खरीद की गई थी । यूनिट–III व यूनिट–V की ओवरहालिंग सामग्री खरीद के पहले ही की जा चुकी थी और यूनिट– IV की ओवरहालिंग नियोजित नहीं थी। यद्यपि यूनिट– II की ओवरहालिंग सितम्बर 2009 के दौरान व यूनिट– I की अप्रैल/मई 2012 के दौरान की गई, फिर भी एस.टी.पी.एस. द्वारा इन सामग्रियों का प्रयोग नहीं किया गया और सभी खरीदे गये पूर्जे अनुपयोगी रहे । इसके अलावा अक्टूबर 2012 से जनवरी 2014 के बीच सभी यूनिट–I-V बंद कर दी गई और कम्पनी के पास 62.5 मेगावाट की कोई यूनिट नहीं है ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि यूनिट–III व V भी अगली ओवरहालिंग के लिए खरीदे गये डायफ्राम स्टॉक में रखने का निश्चय किया गया था परन्तु यूनिट– III व V के बंद होने के कारण, इन यूनिटों की ओवरहालिंग टाल दी गई और खरीदे गये उपक्रमों का उपयोग नहीं हो सका ।

तथ्य यह है कि कम्पनी इस बात में अवगत थी कि भविष्य में इन इकाईयों को बंद किया जाना है, इस प्रकार बिना आवश्यकता के सामग्री की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 5.02 करोड़ को निष्फल व्यय हुआ ।

मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

3.7 गलत टैरिफ श्रेणी को लागू करना

गलत टैरिफ श्रेणी को लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 20.94 लाख राजस्व की हानि

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अनुसार खुदरा टैरिफ एच.व्ही. 3.2 (गैर औद्योगिक) रेलवे स्टेशन, कार्यालयों, होटलों, संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) पर जिनके पास शक्ति, प्रकाश न पंखे आदि का मिश्रित लोड़ है पर लागू होता है । यह उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों को भी सम्मिलित करता है, जो निम्न दाब (एल.टी.) गैर–घरेलू श्रेणी टैरिफ एल वी 2.2 के अधीन परिभाषित है। एल.टी. गैर–घरेलू श्रेणी टैरिफ एल वी 2.2 रेलवे (कर्षण व रेलवे कॉलोनी को आपूर्ति व पानी की आपूर्ति के अलावा), दुकान/शोरूम, पार्लर, सरकारी कार्यालयों, सरकारी अस्पातालों और प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, सरकारी/निजी संस्थाओं के कार्यालय, निजी क्लिनीक, नर्सिंग होम्स और निजी अस्पताल सहित सरकारी मेडिकल केयर सुविधाओं पर लागू था ।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने 60 केवीए की अनुबंध मांग के लिए एक उपभोक्ता के साथ उच्च दाब (एच.टी.) समझौता (10 जनवरी 2006) किया, जो गंजबासौदा, मध्य प्रद्रेश में एक मेडिकल केअर फेसिलिटि (अस्पताल) चलाता है । प्रारंभिक अनुबंध मांग दो पूरक समझौतो द्वारा 90 केवीए (अक्टूबर 2008) एवं 120 केवीए (सितम्बर 2012) बढ़ा दी गई ।

हमने पाया कि उपभोक्ता टैरिफ एच व्ही 3.2 के अधीन आता है जो सरकारी व निजी अस्पतालो को शामिल करते हुए सभी मेडिकल केअर सुविधाओं पर लागू होता है, जबकि कम्पनी ने टैरिफ एच व्ही 6.1 लागू किया जो बड़े आवासीय उपभोक्ताओं पर लागू होता है।

[3] प्रत्येक यूनिट की क्षमता 62.5 मेगावाट है ।

गलत टैरिफ एच व्ही 6.1 को लागू करने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2006 से फरवरी 2014 की अवधि में ₹ 20.94 लाख राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण कम्पनी/सरकार को जून 2014 में सूचित किया गया, उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (दिसम्बर 2014)।

3.8 निर्धारित न्यूनतम अनुबंध मांग को लागू न किये जाने से कम बिलिंग

टैरिफ शेड्यूल 2011–12 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अनुबंधित मांग को लागू न किये जाने के कारण, उन उपभोक्ताओं जिनकी अनुबंधित मांग व टैरिफ शेड्यूल में निर्धारित मांग में विविधता थी, के कारण ₹ 6.61 करोड़ की कम बिलिंग

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) द्वारा उच्च दाब टैरिफ उपभोक्ताओं के लिये बनाये गये टैरिफ शेड्यूल 2011–12 के अनुच्छेद 1.18 (परमानेन्ट कनेक्शन की सामान्य शर्तें एवं निबंधनों) के अनुसार, 11 केवी, 33 केवी तथा 132 केवी से विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम अनुबंधित मांग क्रमशः 50 केवीए, 100 केवीए तथा 5000 केवीए होती है तथा किसी तकनीकि कारण से न्यूनतम अनुबंधित मांग में आये विचलन को, उपभोक्ता द्वारा एम.पी.ई.आर.सी. से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर, स्वीकृत किया जा सकता है । विद्युत उपभोग बिल में स्थाई प्रभार, ऊर्जा प्रभार तथा ईधन समायोजन प्रभार शामिल होते है । स्थाई प्रभार की बिलिंग प्रति के. व्ही.ए. के आधार पर, अनुबंधित मांग के 90 *प्रतिशत* या यो वास्तविक मांग, जो दोनो में अधिक हो, पर की जाती है ।

अप्रैल 2010 से अप्रैल 2013 की अवधि के उच्च दाब विद्यतु उपभोक्ताओं के डाटाबेस की जांच करने पर हमने पाया (अगस्त 2013) कि 1514 मामलों (45 उपभोक्ताओं) में वास्तविक मांग के आधार पर उपभोक्ताओं पर बिलिंग की गई राशि 33 केवी तथा 132 केवी लाईन पर वास्तविक अनुबंधित मांग में विविधता के कारण टैरिफ शेड्यूल के आधार पर न्यूनतम अनुबधित मांग के 90 *प्रतिशत* के आधार पर बिलिंग की जाने वाली राशि की तुलना में ₹ 6.61 करोड़ कम थी।

हमने, आगे पाया कि उच्च दाब उपभोक्ताओं का डाटाबेस में कही पर भी, किसी तकनीकि कारण से निर्धारित न्यूनतम अनुबंधित मांग से कम वास्तविक मांग हेतु, कमीशन का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया । हमने पाया कि सभी उपभोक्ता बहुत पुराने यथा एम.पी. ई.आर.सी. के गठन के पूर्व थे । यद्यपि एम.पी.ईआर.सी. द्वारा प्रदाय संहिता तथा विनियमन के निर्धारण के पश्चात्, कम्पनी द्वारा पुराने अनुबंधों की समीक्षा नहीं की गई तथा एम.पी.ई. आर.सी. का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया ।

अतः इन उपभोक्ताओं के संबंध में जिनकी वास्तविक मांग, वास्तविक अनुबंधित मांग से कम थी, निर्धारित न्यूनतम अनुबंधित मांग को लागू न किये जाने के कारण से, अप्रैल 2010 से अप्रैल 2013 की अवधि में ऊर्जा प्रभार के स्थाई तत्व की ₹ 6.61 करोड़ से कम बिलिंग की गई ।

सरकार ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा उच्चदाब उपयोजाओं के लिये बनाये गये टैरिफ शेड्यूल 2011–12 का अनुच्छेद 1.18 (परमानेन्ट कनेक्शन को सामान्य शर्तें एवं निबंधनों) केवल नये उपभोक्ताओं पर लागू था तथा प्रदाय संहिता 2004 के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार उन वर्तमान उपभोक्ताओं जिनकी विविध वोल्टेज लेवल पर अनुबंधित मांग, एम.पी.ई.आर.सी. के विनियमों में निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम अनुबंधित मांग की सीमा में नहीं रहती है, लाइसेंसी द्वारा एसे उपभोक्ताओं को उनकी वोल्टेज आपूर्ति में परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे उपभोक्ता ऐसा करने के लिये प्रार्थना नहीं करते तथा ऐसे प्रभारों की लागत को वहन

करने के लिये तैयार नहीं होते ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 1.18 ऐसा उल्लेखित नहीं है कि इस प्रकार बनाये गये नियम केवल नये उपयोजाओं पर ही लागू होते है । प्रदाय संहिता 2004 के अनुच्छेद 3.4 के संबंध में दिये गये तर्क के संबंध में दिया गया उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि अनुच्छेद में कही भी उल्लेखित नहीं है कि अनुबंधित मांग को उपभोक्ताओं की प्रार्थना पर ही परिवर्तित किया जायेगा । मध्य प्रदेश सरकार, वित्त विभाग ने भी ऊर्जा विभाग को (अक्टूबर 2014) संबंधित उपभोक्ताओं से ऐसी राशि को ब्याज सहित वसूल करने की सलाह दी है ।

अतः कम्पनी वर्तमान उपभोक्ताओं की अनुबंधित मांग की समीक्षा न करने के कारण वित्तीय हितो को संरक्षित करने में असफल रही, जिसके कारण ₹ 6.61 करोड़ की कम बिलिंग हुई।

सामान्य

3.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणी

3.9.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के विभागों के विभिन्न कार्यालयों में संधारित लेखाओं तथा अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ आरम्भ होकर संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा प्रदर्शित करते है। इसलिये यह आवश्यक है कि कार्यपालन अधिकारियों से उचित एवं समय पर उत्तर प्राप्त करें। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने समस्त प्रशासनिक विभागों को अनुदेश (नवम्बर 1994) जारी किया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट कण्डिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर सुधारात्मक/प्रतिकारी कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही दर्शाते हुये व्याख्यात्मक टिप्पणियां विधान सभा के सम्मुख उनके प्रस्तुत होने के तीन माह के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (कोपू) की कोई सूचना या बुलाने की प्रतीक्षा किये बिना प्रस्तुत करें।

यद्यपि, 2011–12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान–सभा में 11 जनवरी 2014 को प्रस्तुत कर दिया गया था । दो विभागों, जिनके ऊपर टिप्पणियां की गई, 30 सितम्बर 2014 तक दो कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं किया था। वर्ष 2012–13 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में 22 जुलाई 2014 को प्रस्तुत कर दिया गया था। विभाग–वार विश्लेषण ***परिशिष्ट – 3.1*** में दिया गया है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.9.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति की अनुशंसा जो कि उनके प्रतिवदेनों में सन्निहित है, के उत्तर, कार्यवाही टिप्पणियों के रूप में कोपू द्वारा विधानसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से छः माह के अन्दर प्रस्तुत करने होते है । कोपू की अनुशंसाओं के आधार पर 2013–14 के दौरान 35 कार्यवाही की टिप्पणियाँ प्राप्त हुई है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर

3.9.3 लेखापरीक्षा के दौरान की गई तथा कार्यस्थल पर निराकृत न की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों कें अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित की जाती है । सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के प्रमुखों को चार सप्ताह की अवधि के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर प्रेषित करने होते है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के 52 उपक्रमों से संबंधित मार्च 2014 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 642 निरीक्षण प्रतिवदेनों से संबंधित 1906 कंडिकाएं सितम्बर 2014 के अंत तक बकाया थी जिनके उत्तर एक से नौ वर्षो तक नहीं दिये गये थे। 30 सितम्बर 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण

परिशिष्ट – 3.2 में दिया गया है।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कंडिकाएं एवं समीक्षाएं अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को छः सप्ताह की अवधि के भीतर तथ्यों तथा आँकड़ों की पुष्टि तथा उन पर उनकी टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए अग्रेषित की जाती है। तीन निष्पादन लेखापरीक्षा तथा आठ प्रारूप कंडिकाएं विभिन्न विभागों को जून 2014 से जुलाई 2014 के मध्य अग्रेषित की गयी थी परन्तु अभी तक (दिसम्बर 2014) पाँच प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर नहीं मिला जिसका वर्णन ***परिशिष्ट – 3.3*** में वर्णित है ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि (क) निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया विद्यमान है (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली करने के लिए समयबद्ध अनुसूची के अनुसार कार्यवाही की जाती है और (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की पद्धति को सशक्त बनाया जाय ।

(दीपक कपूर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

भोपाल
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक